बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या–स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0................ पटना, दिनांक–..................

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–138(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।– (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमवाली, 1992 के नियम–215 के उपनियम (4) के बाद एक उपनियम (5) निम्न रूप से अंतःस्थापित किया जाता है:–

"215(5)(क) मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों के बाबत गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए स्कीम अधिसूचित की जा सकेगी, जिसके अन्तर्गत दुर्घटनाओं के कारणों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने हेतु विभागीय स्तर से समिति गठित की जा सकेगी, जिसके सदस्यों के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख–सुविधाएँ बढ़ाने तथा यातायात नियमों के अनुपालन एवं अनुश्रवण के लिए यातायात सहायता चौकियों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना निर्गत की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0.............., पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0.............., पटना, दिनांक–...........................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0.............., पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध–05–69/2019 परि0...941..., पटना, दिनांक–...24/12/19...

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12

सरकार के सचिव